कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

सतपुड़ा भवन, पांचवी मंजिल, भोपाल (म.प्र.) 462004; हेल्प-लाइन नंबर: 0755-2551698, 0755-2554763

ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया का सी.एल.सी. चरण: आवेदकों हेतु निर्देश

(दिनांक 19 से 25 जुलाई 2014)

सत्र : 2014-15

(स्नातकोत्तर, बी.लिब., एलएल.बी. एवं अन्य पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु)

स्नातकोत्तर, बी.लिब., एलएल.बी. एवं अन्य पी.जी. डिप्लोमा पाठयक्रमों की ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के सी.एल.सी. (College Level Counselling) चरण में प्रवेश के इच्छुक आवेदक-विद्यार्थियों की सुविधा के लिए इस चरण में की जाने वाली कार्यवाही को बिन्दुवार स्पष्ट किया जा रहा है:

1. स्नातकोत्तर सी.एल.सी. चरण में 19 जुलाई 2014 तक दस्तावेजों का सत्यापन एवं दिनांक 21 जुलाई 2014 तक पंजीयन शुल्क जमा करा चुके सभी अप्रवेशित अथवा सीट-आवंटन अप्राप्त आवेदक सम्मिलित हो सकते हैं।

2. इस चरण में आवेदक मध्यप्रदेश के किसी भी शासकीय अथवा अशासकीय महाविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम में पात्रता होने पर प्रवेश लेने के लिए उपस्थित हो सकता है।

3. समस्त महाविद्यालय उनके यहाँ चल रहे प्रत्येक स्नातक पाठयक्रम के विभिन्न विषय-समूहों में रिक्त स्थानों की सूची **दिनांक 18 जुलाई 2014 को प्रातः 11:00 बजे** सूचना-पटल पर लगावेंगे। महाविद्यालयवार एवं विषय समूहवार रिक्त स्थानों की जानकारी आवेदक **epravesh.nic.in** पोर्टल से **Student Corner Counselling** के अंतर्गत **View Vacancy Status (PG)** के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।

4. प्रवेश के इच्छुक आवेदक दिनांक 19 अथवा 21 जुलाई 2014 को महाविद्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर निर्धारित संलग्न प्रपत्र **[सी.एल.सी. चरण में सीट-आवंटन हेतु आवेदन-पत्र का प्रारूप]** में अपना आवेदन, प्रवेश हेतु चाहें गए पाठ्यक्रम एवं विषय का विकल्प व्यक्त करते हुए महाविद्यालय की प्रवेश समिति को प्रस्तुत करना होगा।

5. महाविद्यालय में आवेदक के दस्तावेजों का पुनः सत्यापन किया जावेगा। अत: आवेदक अपने समस्त मूल प्रमाण-पत्र, पंजीकृत आवेदन की मूल प्रति, रंगीन पासपोर्ट साईज का फोटोग्राफ लेकर महाविद्यालय में जावे।

6. महाविद्यालय द्वारा आवंटित पाठ्यक्रम में पात्रता का परीक्षण कर ही आवेदक को प्रवेश दिया जावेगा। अत: आवेदकों को निर्देशित किया जाता है कि यदि उन्होंने किसी ऐसे विश्वविद्यालय/विषय-समूह से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की हो या करने जा रहे हो जिसके लिए विश्वविद्यालय का पात्रता प्रमाण-पत्र (Elligibility-Certificate) आवश्यक हो, तो उसे प्रवेश के समय प्रस्तुत करना होगा।

7. आवेदक द्वारा निम्न दस्तावेज महाविद्यालय में प्रस्तुत किये जाने हैं :

   12वी की अंकसूची, स्नातक के समस्त सेमेस्टरों की अंकसूचियॉ, मूल स्थानांतरण प्रमाण-पत्र (टी.सी) / माइग्रेशन, अधिभार संबंधी प्रमाण-पत्र, श्रेणी एवं संवर्ग प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, मूल-निवासी प्रमाण-पत्र, पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय का पात्रता प्रमाण-पत्र।

   इन प्रमाण-पत्रों में से यदि आवेदक के पास स्नातक के षष्ठ-सेमेस्टर की मूल अंकसूची, माइग्रेशन/टी.सी., मूल-निवासी प्रमाण-पत्र एवं विश्वविद्यालय का पात्रता प्रमाण-पत्र उपलब्ध न हो, तो भी उसे वचन-पत्र के आधार पर प्रावधिक प्रवेश दे दिया जावेगा। परन्तु निर्धारित अंतिम तिथि **30 जुलाई 2014** तक मूल दस्तावेज प्रस्तुत न करने की स्थिति में महाविद्यालय द्वारा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

8. सी.एल.सी. चरण में प्रवेश हेतु आवेदन-पत्र का प्रारूप संलग्न प्रपत्र **[सी.एल.सी. चरण में सीट-आवंटन हेतु आवेदन-पत्र का प्रारूप]** में दिया गया है। यह प्रारूप विभागीय पोर्टल (**www.epravesh.nic.in**), उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट (**www.highereducation.mp.gov.in**) तथा प्रत्येक शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालय में भी उपलब्ध है।

9. **दिनांक 21 जुलाई 2014 तक** निर्धारित प्रारूप में प्राप्त सभी आवेदनों के आधार पर सीट आवंटन हेतु **प्रवेश-सूची (प्रतीक्षा सूची सहित) दिनांक 22 जुलाई 2014 को प्रातः 11:00 बजे महाविद्यालय के सूचना-पटल पर लगायी जावेगी।** प्रवेश सूची में स्थान प्राप्त आवेदकों को **दिनांक 22 से 24 जुलाई अपरान्ह 04:00 बजे तक** अनिवार्य रूप से निर्धारित प्रवेश-शुल्क जमा करना होगा।

10. **दिनांक 24 जुलाई को सायं 04:00 बजे के बाद रिक्त सीटों पर** प्रतीक्षा-सूची के आवेदकों को मौका दिया जावेगा। प्रतीक्षा-सूची के आवेदक **दिनांक 24 जुलाई 2014 अपरान्ह 04:00 बजे से 25 जुलाई 2014 सायं: 5:00 बजे तक** शुल्क जमा कर सकते है।

11. सीएलसी चरण में आरक्षित वर्ग के आवेदकों को आरक्षित सीट पर प्रवेश दिया जावेगा। आरक्षित वर्ग के आवेदकों की अनुपस्थिति में समस्त रिक्त स्थान सामान्य वर्ग के आवेदकों के लिए उपलब्ध हो जावेंगे।

12. यदि कोई पंजीकृत नया आवेदक सीएलसी-चरण की प्रवेश सूची जारी होने के पश्चात् महाविद्यालय में प्रवेश हेतु उपस्थित होता है तो उसे स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जावेगा। इस स्थिति में समस्त श्रेणियों के आवेदक सामान्य माने जावेंगे।

13. **स्नातक में ए.टी.के.टी. प्राप्त आवेदकों हेतु विशेष निर्देश** :
    - सी.एल.सी. चरण में द्वितीय अथवा/एवं चतुर्थ सेमेस्टर/सेमेस्टरों की ए.टी.के.टी. के साथ षष्ठ (Sixth) सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित हो चुके या होने वाले पंजीकृत आवेदकों को ही स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही गुणानुक्रम से प्रावधिक प्रवेश दिया जा सकेगा।
    - ATKT प्राप्त ऐसे आवेदक जिनकी ATKT प्रश्नपत्रों की परीक्षा विषम सेमेस्टरों के साथ आगामी नवम्बर / दिसम्बर माह में आयोजित होने वाली हो, इस शैक्षणिक सत्र में प्रवेश की पात्रता नहीं रखते है।
    - इस चरण के पश्चात् ATKT प्राप्त आवेदकों के लिए नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश अवसर प्राप्त नहीं हो सकेगा।

14. स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में समस्त आवेदकों को प्रावधिक प्रवेश ही दिया जावेगा। प्रावधिक प्रवेश लेते समय प्रत्येक आवेदक को निर्धारित प्रारूप में वचन-पत्र देना होगा।

15. स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश प्राप्त आवेदकों के दूसरे सेमेस्टर (ए.टी.के.टी.), चौथे सेमेस्टर (ए.टी.के.टी.) एवं छटवें सेमेस्टर (नियमित) का परीक्षा परिणाम घोषित होने पर यदि आवेदक को पुन: ए.टी.के.टी. प्राप्त होती है तो उनका प्रावधिक प्रवेश महाविद्यालय द्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जावेगा।

संलग्न: **सी.एल.सी. चरण में सीट-आवंटन हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप।**

(वि.क.अ. सह आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

16/07/2014

(डॉ. अनुज हुण्डैत)
वि.क.अ. आई.टी. सेल
उच्च शिक्षा संचालनालय

(आवेदक/आवेदिका द्वारा प्रत्येक विषय-समूह/विषय हेतु पृथक-पृथक आवेदन भरा जाये)

महाविद्यालय का नाम : .... **कॉलेज कोड :** | | | | | | | |

ऑनलाइन प्रवेश समिति केन्द्रीय प्रकोष्ठ का हेल्पलाइन नंबर: 0755-2551698, 0755-2554763

सी.एल.सी. चरण में सीट-आवंटन हेतु आवेदन-पत्र का प्रारूप : 2014-15
Application Form for Seat-Allotment in CLC Round : 2014-15

पंजीयन क्रमांक : | | | | | | | | **पाठ्यक्रम का कोड :** | | | | |

पाठ्यक्रम का नाम : **स्नातक** .... **स्नातकोत्तर** ....

आवेदक/आवेदिका का नाम : ....

पिता/पति का नाम : ....

डाक व्यवहार का पता : ....

....

जन्मतिथि : (Date of Birth)		अर्हताकारी परीक्षा का प्रतिशत : (% of Qualifying Exam)	
श्रेणी एवं संवर्ग : (Category & Class)		अधिभार हेतु मान्य प्रतिशत : (Admissible % for Weighttage)	
मोबाईल नंबर : (Mobile Number)		वरीयता हेतु प्रभावी प्रतिशत : (Effective Percentage for Merit)	

घोषणा: मैं घोषित करता/करती हूँ कि मैंने सत्र 2014-2015 में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के अंतर्गत किसी भी अन्य महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया है। उपरोक्त जानकारी असत्य पायी जाने पर मेरा प्रवेश निरस्त किया जाता है तो जवाबदारी मेरी स्वयं की होगी।

हस्ताक्षर आवेदक/आवेदिका

विशेष-टीप: सीट आवंटन प्राप्त आवेदकों को **UG हेतु दिनांक 19 से 23 जुलाई अपरान्ह 04:00 बजे तक** एवं **PG हेतु दिनांक 22 से 24 जुलाई अपरान्ह 04:00 बजे तक** अनिवार्य रूप से शुल्क जमा करना होगा। तत्पश्चात प्रतीक्षा सूची के आवेदकों को नियमानुसार प्रवेश दिया जावेगा।

महाविद्यालय की प्रवेश समिति द्वारा भरा जाये

आपके द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त तथ्यों के आधार पर सी.एल.सी. चरण में निम्न विवरणानुसार पाठ्यक्रम एवं विषय-समूह/विषय हेतु सीट आवंटित की जाती है :

पाठ्यक्रम का नाम : (Name of the Course)		**विषय-समूह / विषय का विवरण :** (Subject-Combination/Subject)	
टीप: CLC चरण में आरक्षित वर्ग के स्थान रिक्त रहने पर **OPEN** श्रेणी में बदल जावेंगे, इस श्रेणी में कोई भी आवेदक गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश ले सकता है। **आवंटित-श्रेणी** (Allotted-Category) :			

जन्मतिथि प्रमाण-पत्र :	हाँ O	**चरित्र प्रमाण-पत्र :**	हाँ O लागू नहीं O
12वीं की अंकसूची :	हाँ O वचनपत्र O	**जाति प्रमाण-पत्र :**	हाँ O लागू नहीं O
अधिभार संबंधी प्रमाण-पत्र :	हाँ O लागू नहीं O	**संवर्ग प्रमाण-पत्र :**	हाँ O लागू नहीं O
टी.सी./माइग्रेशन :	हाँ O वचनपत्र O आवश्यक नहीं O	**आय प्रमाण-पत्र :**	हाँ O लागू नहीं O
स्नातक अंकसूची :	हाँ O वचनपत्र O लागू नहीं O	**मूल निवासी प्रमाण-पत्र :**	हाँ O वचनपत्र O
पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय का पात्रता प्रमाण-पत्र :		हाँ O नहीं O आवश्यक नहीं O	
स्नातकोत्तर प्रथम-सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश हेतु वचन-पत्र :		हाँ O *(केवल स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर हेतु अनिवार्य)*	
अन्य आवश्यक प्रमाण-पत्र : (**जैसे:** HE-कोटा/अध्ययन में अंतराल/नियोक्ता का प्रमाणपत्र/JK-विस्थापित/ अन्य-राज्यों के आवेदकों के लिए पुलिस-सत्यापन एवं शपथपत्र, इत्यादि)		कृपया उल्लेख करें:	

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक के दस्तावेजों का पुनः सत्यापन किया गया एवं दस्तावेजों की छायाप्रतियां तथा उपरोक्तानुसार समस्त आवश्यक प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिये गए हैं। आवेदक की पाठ्यक्रम में प्रवेश की पात्रता का परीक्षण करने के उपरांत ही प्रवेश दिया गया है तथा आवेदक के प्रवेश की जानकारी ऑनलाइन Report CLC Admissions मॉड्यूल में भी कर दी गयी है।

हस्ताक्षर
प्रभारी प्रवेश समिति

हस्ताक्षर एवं सील
प्राचार्य / प्रभारी-प्राचार्य